अध्याय 8 वित्तीय प्रबंधन

मिशन के तहत निधि राज्य सरकारों या नामित एस.एल.एन.ए को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए) के रूप मे दी जानी थी। राज्य सरकार/एस.एल.एन.ए को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में अपना आनुपातिक हिस्सा मिला कर इसे यू.एल.बी/कार्यान्वयन एजेंसियों को देना था।

इस अध्याय मे हमनें ए.सी.ए के जारी करने ए.सी.ए के उपयोग और उसमें पाई गई अनियमितताओं का उल्लेख किया है।

8.1 प्रतिबद्ध ए.सी.ए का धीमी गति से जारी करना

योजना आयोग ने कुल ₹ 66,084.66 करोड़ का आबटंन (मिशन अवधि 2005–06 से 2011–12) यू.आई.जी, यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी, बी.एस.यू.पी और आई.एच.एस.डी.पी परियोजनाओं के लिए किया, जैसाकि प्रस्तावना पाठ के पैरा संख्या 1.5 की तालिका संख्या 1.3 और 1.4 में वर्णित है। यद्यपि 31 मार्च 2011 तक भारत सरकार ने आबंटित ₹ 37,070.15 करोड़ मे से ₹ 32,934.39 करोड़ को जारी किया। इस प्रकार यह देखा गया कि योजना आयोग द्वारा कुल आबंटित राशि का केवल 49.84 प्रतिशत ही यू.आई.जी, यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी, बी.एस.यू.पी और आई.एच.एस.डी.पी को जारी किया।

एम.ओ.यू.डी ने यू.आई.डी/यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी के मामले में उत्तर दिया (अप्रैल/मई 2012) कि निधियों का जारी करने के लक्ष्यों की प्राप्ति राज्य सरकारों की कुशलता और उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर निर्भर है। यह सूचित किया कि वर्ष 2011–12 तक कुल आबटंन ₹ 23461.26 करोड़ का 82.68 प्रतिशत यू.आई.जी के संबंध में ₹ 18541.14 करोड़ 2005–06 से 2011–12 तक वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये थे और ₹ 846.05 करोड़ वित्त मंत्रालय द्वारा जारी करना लंबित था। एम.ओ.यू.डी ने यू.आई.जी के संबंध में जारी करने की स्थिति के बारे में बताया जबकि यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी के संबंध में जारी करने की स्थिति पर टिप्पणी नहीं की।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए, (अक्तूबर 2011) ने बी.एस.यू.पी/आई.एच.एस.डी.पी के संबंध मे कहा कि लक्ष्यों की उपलब्धि/निधियों का राज्य सरकारों को जारी करना उनके उपयोग और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। उन्होने पाया कि कई राज्यों और शहरो में कार्यक्रम को पूरी तरह लागू करने की क्षमता का अभाव हैं, एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने आगे सूचित किया कि राज्यो द्वारा मुकदमे रहित जमीन की कमी, लाभार्थियों की ओर से योगदान की इच्छा की कमी, इन–सीटू परियोजनाओ में बाहर जाने की अनिच्छा, लागत में वृद्धि और शहरी स्थानीय निकायो की अक्षमता के लिए अपने शेयर को पूरा करने के संबंध मे बदलाव की अनिच्छा की सूचना दी। एम.ओ.एच.यू.पी.ए, ए.सी.ए की अंतिम किस्त राज्य/यू.टी. सरकारों को जारी करने से पहले संतोषजनक भौतिक प्रगति और परियोजनाओ की गुणवत्ता पर जोर दे रहा था। मंत्रालय ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बहुधा समीक्षा का आयोजन भी किया।

इसके अलावा एम.ओ.एच.यू.पी.ए ने आई.एच.एस.डी.पी के संबंध में 31 मार्च 2011 तक ₹ 544.71 करोड़ आबंटन से अधिक जारी किये।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए ने लक्ष्यों और आकड़ों की पुष्टि (अक्तूबर 2011) करते हुआ कहा कि आई.एच.एस.डी.पी परियोजनाओं के संबंध मे बताया कि ए.सी.ए का बी.एस.यू.पी से आई.एच.एस.डी.पी में स्थानातरण, राज्य सरकरों की प्रार्थना पर किया।

8.2 परियोजना के अनुमोदन के बाद ए.सी.ए के जारी करने में बिलम्ब

दिशानिर्देश में परियोजना के अनुमोदन होने के बाद जारी करने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं थी। एम.ओ.एच.यू.पी.ए की भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट (31 मार्च 2011) की जांच से पता चला कि

केन्द्र सरकार से संबंधित एस.एल.एन.ए को धन राशि जारी करने में समय लगा। समय की गणना सी. एस.एम.सी की बैठक की उस तिथि से की गई है जिसमे परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया था।

- बी.एस.यू.पी के अधीन 53 परख–जांच मामलों मे से 15 मामलो में पाया गया कि परियोजनाओं की अनुमोदन की तिथि से पहली किस्त जारी करने में दो से 15 माह तक का समय लगा (परिशिष्ठ 8.1)

  उदाहरण के तौर पर बी.एस.यू.पी स्थल पुनर्वास परियोजना के तहत निर्मित 19360 आवासीय इकाईयां, फेस–।। चंडीगढ़ जिसका अनुमोदन 14 दिसंबर 2006 को हुआ था उसकी पहली किस्त 25 मार्च 2008 यानि 15 महीनों के बाद जारी हुई थी।

- आई.एच.एस.डी.पी के अधीन 29 मामलों मे से 21 मामलों में पाया गया कि परियोजनाओं की अनुमोदन की तिथि से पहली किस्त जारी करने में एक से आठ माह का समय लगा (परिशिष्ट 8.2)

  एम.ओ.एच.यू.पी.ए ने बताया (अप्रैल 2012) कि सिवाय एक चंडीगढ़ मामले को छोड़ कर, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को जारी करने मे दो से छः माह का विलम्व रहा।

- इसी तरह एम.ओ.यू.डी के रिकार्ड की जांच से पता चला है कि मार्च 2011 तक यू.आई.जी के तहत अनुमोदित 532 परियोजनाओं में से 31 परियोजनाओं में परियोजना के अनुमोदन की तिथि में पहली किस्त के जारी होने में चार से 15 माह का समय लगा। विवरण को परिशिष्ट 8.3 मे दिखाया गया है।

  उदाहरण के लिए, दिल्ली मे 20 एम.जी.डी एस.टी.पी की निलोठी और पप्पनकलाँ में स्थापना करने, जिसका अनुमोदन 29 दिसम्बर 2008 का हुआ था और पहली किस्त 15 मार्च 2010 अर्थात् परियोजना के अनुमोदन की तिथि से 15 माह बाद जारी की गई।

  एम.ओ.यू.डी (मई 2012) ने कहा कि विशिष्ट मामलों में उत्तर तैयार किया जा रहा था।

- यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी के तहत, एम.ओ.यू.डी मे लेखापरीक्षा जांच में पाया कि विस्तृत जांच के लिए चयनित 35 परियोजनाओं में 20 परियोजनाओं मे, परियोजनाओ की अनुमोदन की तिथि से राशि के जारी होने मे तीन से 27 माह का विलम्ब लगा जिन्हैं परिशिष्ट 8.4 मे दर्शाया गया है।

  उदाहरण के लिए चुमूकेदीमा (नागालैंड) सड़क परियोजना जिसका अनुमोदन 24 मई 2007 को हुआ और पहली किस्त 27 माह बाद यानि 7 सितम्बर 2009 को जारी हुई। महाराष्ट्र मे औरगांबाद के लिए एक जल आपूर्ति परियोजना 4 मई 2007 को अनुमोदित हुई और उसकी पहली किस्त 18 मार्च 2009 यानि 21 महीनों के बाद जारी हुई।

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी के संबंध मे एम.ओ.यू.डी ने कहा (मई 2012) कि विलम्ब का कारण या तो राज्यों द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरा न करना या उनके आबंटन के निःशेषण के कारण है। यह कहा गया कि फरवरी 2009 में आबंटन उपलब्ध कराया गया था।

तथापि वास्तविकता यह है कि राशि जारी करने मे 27 माह तक की देरी रही।

8.3 राज्य सरकार द्वारा आनुपातिक शेयर का जारी करना

जे.एन.एन.यू.आर.एम के तहत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए) वित्त मंत्रालय/गृह मंत्रालय द्वारा, एम.ओ.यू.डी और एम.ओ.एच.यू.पी.ए की सिफारिश के आधार पर सीधे ही राज्यों/यू.टी. को जारी की जाती है। राज्य सरकारो को वही राशि अपने आनुपातिक शेयर के साथ तुरन्त कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी करना आवश्यक था।

एस.एल.एन.ए. और यू.एल.बी के रिकॉर्ड की जांच से पता चला है कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को अपना आनुपातिक शेयर जारी करने मे देरी हुई। एम.ओ.यू.डी (मई 2012) ने कहा कि राज्यों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि वह अपना हिस्सा समय पर मौजूदा जे.एन.एन.यू. आर.एम के दिशा–निर्देशो के अनुसार जारी करें।

8.4 यू.एल.बी./पैरास्टेटल द्वारा परियोजना लागत का साझा करना

जे.एन.एन.यू.आर.एम के दिशा–निर्देशों के अनुसार यू.एल.बी/पैरास्टेटल को परियोजनाओं के निष्पादन में व्यय को साझा करना था। लागत को जनसख्या के आधार पर बॉटा जाना चाहिए था। परियोजनाओं के लिए धन के पैटर्न के बारे में साझा मापदंड़ इस रिपोर्ट की तालिका सं. 1.2 मे दिया है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध हो। चयनित राज्यो/यू.टी. के रिकॉर्ड की जांच मे पाया कि यू.एल.बी. को आनुपातिक शेयर जारी करने मे निम्न कमियॉ पाई गईं ।

I. **बिहार** में राज्य सरकार (मार्च 2006) ने यू.एल.बी. का शेयर दिया जाने का फैसला किया जब तक यू.एल.बी आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो।

II. **उत्तराखंड** मे यह पाया गया कि यू.एल.बी/पैरास्टेटल ने अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी ₹ 40.65 करोड़ की राशि को नहीं दिया।

III. **हरियाणा** मे 2006–07 और 2010–11 के बीच ₹ 102.43 करोड़ यू.एल.बी शेयर के अनुपात में केवल रू 57.54 करोड़ की राशि जारी की इसलिए ₹ 44.89 करोड़ के कम यू.एल.बी शेयर जारी किए। इस का कारण नगर निगम, फरीदाबाद, हरियाणा (मई 2011) ने बताया कि वह मुश्किल वित्तीय स्थिति का सामना कर रही थी और उन्होंने ऋण ले कर अपने शेयर का प्रबंधन किया और अब शीघ्र ही अपना शेयर जारी करेगा।

IV. **कर्नाटक** में बैंगलौर जल आपूर्ति सीवरेज बोर्ड (बी.डब्ल्यू.एस.एस.बी.) द्वारा कार्यान्वित 49 परियोजनाओं के लिए ₹ 585.00 करोड़ का यू.एल.बी. शयेर कम जारी हुआ।

V. अकोला, **महाराष्ट्र** मे भूमिगत सीवरेज परियोजना का कार्य ₹ 315.70 करोड़ में ठेकेदार को दिया गया (मार्च 2010)। अकोला नगर निगम को रू 196.23 करोड़ का योगदान करना था हालांकि 2008–09 और 2009–10 के बजट जांच से पता चला कि अकोला नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी और प्रतिबद्ध व्यय को पूरा करने के बाद अधिशेष निधि के रूप मे निगम के पास क्रमशः केवल ₹ 2.88 करोड़ और ₹ 0.65 करोड़ थे। यह स्पष्ट था कि निगम अपने संसाधनों द्वारा काम को कार्यान्वयत करने की स्थिति मे नहीं था। परियोजना के निष्पादन हेतु धन के जुटाव करने पर अकोला नगर निगम (मई 2011) ने कोई विशिष्ट जवाब नहीं दिया।

VI. **पुडुचेरी** में, यू.आई.जी, बी.एस.यू.पी और आई.एच.एस.डी.पी के अन्तर्गत किसी भी परियाजना के लिए यू.एल.वी द्वारा आनुपातिक शेयर जारी नहीं किया गया।

VII. **राजस्थान** में, यू.एल.बी ने आनुपातिक शेयर ₹ 5.08 करोड़ जारी नहीं किए (आई.एच.एस. डी.पी. फेस–II जोधपुर मे).

VIII. **तमिलनाडू** में, यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी के अन्तर्गत व्यापक जल आपूर्ति योजना (रामनद) जो पांच नगर पालिकाओं, 11 शहर पचायतों और 3163 ग्रामीण बस्तियो के लिए रामनाथपुरम तथा परमाकुडी स्थानीय निकायों ने अपना शेष शेयर जो क्रमशः ₹ 3.39 करोड़ और ₹ 0.55 करोड़ था, जारी नही किया था।

एम.ओ.यू.डी (मई 2012) ने जवाब में कहा कि भारत सरकार सुनिश्चित कर रही थी कि राज्य सरकार द्वारा राज्य/यू.एल.बी शेयर को केन्द्र सरकार के हिस्से के साथ साथ परियोजना के खाते मे जारी करना था। इसके आगे की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए) की किश्ते भी राज्य और यू.एल.बी के शेयर के कम जारी के मामले में जारी नही की थी।

8.5 आवर्ती कोश का सृजन

जे.एन.एन.यू.आर.एम के तहत प्रत्येक घटक के लिए एक आवर्ती कोष का सृजन करना था। यू.आई.जी/यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी के संदर्भ में, एस.एल.एन.ए का सॉफ्ट ऋण या अनुदान सहऋण यू.एल.बी/पैरास्टेटल एजेंसी को इस तरीके से स्वीकृत करना था कि केन्द्रीय तथा राज्य के मिले जुले अनुदान के 25 प्रतिशत को वसूल करके उसे संरचना परियोजनाओं में आगे निवेश के वित्तपोषण के लिए बाजार निधियां जुटाने की दृष्टि से आवर्ती कोष में मिला दिया जाए।

बी.एस.यू.पी के संदर्भ में, जब भी एस.एल.एन.ए ने कार्यान्वयन एजेंसियों को शुलम ऋण अथवा अनुदान ऋण के रूप में निधियां जारी की। इसे यह सुनिश्चित करना था कि जारी की गई निधियों का न्यूनतम 10 प्रतिशत (केन्द्रीय एवं राज्य निधियॉ) वसूल कर आवर्ती कोष में जमा और अनुरक्षित किया जाएगा जो कि बी.एस.यू.पी के अन्तर्गत सृजित परिसम्पतियों के रखरखाव एंव संचालन व्ययों को पूरा करने के लिए उपयोग मे लाया जाएगा।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एस.एल.एन.ए. ने 25 राज्यों मे आवर्ती कोष का सृजन नहीं किया। यह आंध्रप्रदेश तथा आंशिक रूप से दो राज्यों (तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल) मे स्थापित किया था। दो राज्यो असम और उत्तरप्रदेश में, हालांकि इसे बनाया गया था परन्तु इसका उपयोग क्रमशः डी.पी.आर/परियोजना प्रबंधन परामर्श शुल्क की तैयारी के लिए खर्च पूरा करने के लिए उपयोग किया गया था

एम.ओ.यू.डी (मई 2012) ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा कि कई राज्यों द्वारा कोष का सृजन नहीं किया था।

8.6 निधियों का अवरोधन

राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए) राशि के साथ उनके आनुपातिक शेयर को कार्यान्वयन एजेसियों को तुरन्त जारी करना आवश्यक था। परियोजनाओं के रिकार्ड की जांच से पता चला कि कई मामलों मे एस.एल.एन.ए. या यू.एल.वी. ने निधियों का अवरोधन किया था।

तालिका सं. 8.1 निधियों के अवरोधन के मामले

(₹ करोड़ में)

परियोजना का नाम	राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	शहरी विकास मंत्रालय/आवासीय शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय का जवाब
डी.एन.एस.की सिल्वासा, यू.आई.डी एस.एस.एम.टी, दादरा और नगर हवेली के लिए जल की आपूर्ति	26.63	जुलाई 2011 तक कार्य शुरू नही हुआ	
बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम चरण–I (ब्लू कोरिडोर पार्ट–I के विकास) यू. आई.जी.राजकोट, गुजरात	पांच माह के लिए 18.81 एक वर्ष के लिए 5.20	कार्य दिसम्बर 2011 तक शुरू नही हुआ था	गुजरात के मामले में, शहरी विकास मंत्रालय ने (मई 2012) गुजरात का जवाब अग्रेषित करते हुए कहा कि राशि का उपयोग निविदाओं की पुनः प्रक्रिया की जरूरत महसूस करने कारण हुई हालांकि, परियोजना को अब पूरा कर लिया गया है और राशि का पूरा उपयोग कर लिया है।

यू.आई.जी, यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी और बी.एस.यू.पी परियोजनाएं, बिहार	447.30	बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (बी.यू.आई.डी.सी.ओ) (₹ 105.88 करोड़), पटना नगर निगम (पी.एम.सी) (₹ 23.09 करोड़), हुडको (₹ 6.87 करोड़) और बिहार शहरी विकास प्राधिकरण (वी.यू.डी.ए) (₹ 311.46 करोड़) द्वारा अवरोधन किया गया	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने (अप्रैल 2012) बिहार के सम्बंध में कहा कि वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी निर्देशानुसार शुरू नही की गई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता व्याज के साथ वापिस करना आवश्यक होगा इसके अतिरिक्त, एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने राज्य सरकार के जवाब (मई 2012) को अग्रेषित किया। उत्तर मे यह कहा गया कि सभी यू.आई.जी, यू.आई.डी.एस.एस एम.टी और अन्य देरी से शुरू हुई योजनाओं पर धन का उपयोग किया जा रहा है।
झारखंड धनबाद जल आपूर्ति परियोजना की उन्नति	99.12	परियोजना के अकार्यान्वित होने के कारण राशि अनुपयोगी रही	
मल–निर्यास व एस.टी.पी. परियोजना, यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. जालंधर पंजाब	0.45	राज्य हिस्सा अटल जमा में रखा गया	
आवासीय परियोजना, अम्बाला सदर व पंचकुला फेस II एवं III हरियाणा	23.71	भूमि की समस्या के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। कार्यान्वयन समिति द्वारा निधि रोक दी गई।	हरियाणा के सम्बन्ध में एम.ओ.एच.यू.पी.ए. (अप्रैल 2012) में उत्तर दिया कि शरू की गई परियोजनाओं का विषय पहले ही राज्य सरकार के साथ लिया गया है। नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
आवासी परियोजना आई.एच.एस.डी.पी. मंसूरी, उतराखंड	2.08	परियोजना को भूमि के अतिक्रमण के कारण शुरू नहीं किया गया।	उत्तराखंड के विषय में एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने (अप्रैल 2012) राज्य सरकार का उत्तर प्रेषित किया कि आई.एच.एस.डी.पी. स्थल पर गैर कानूनन रह रहे परिवारों को हटा दिया गया है व स्थल पर रह रहे एन.पी.पी. कर्मचारियों को किसी अन्य स्थल पर स्थानांतरित किया गया है व यू.पी.आर.एन.एन. द्वारा कार्य शुरू किया जा चुका है।
शहरी गरीबों के लिये घर व पिछड़े क्षेत्र में रहने वालों का पुर्नवास, आई.एच.एस.डी.पी. टूरा, मेघालय	2.60	भूमि की समस्या के कारण परियोजना शुरू नहीं की गई।	
एकीकृत गृह विकास परियोजना बेरहामपुर आई.एच.एस.डी.पी. बेरहामपुर शहर ओड़िशा	11.33	अगस्त 2011 को कार्य शुरू नहीं किया गया था	
कुल	**637.23**		

अन्य मामलों में एम.ओ.यू.डी. ने बताया कि (मई 2012) जबकि प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की है, एम.ओ.यू.डी. ने मामला राज्यों को संदर्भित किया।

8.7 ब्याज का उपयोग

मंत्रालय द्वारा जारी जे.एन.एन.यू.आर.एम के दिशानिर्देशों में, बैंक में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की उपयोगिता के बारे में कोई विशेष रणनीति शामिल नहीं थी।

जैसा कि इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, ऐसे कई मामले थे, जहां जारी निधियों का उपयोग का कई कारणों से नहीं हुआ जैसे कि कार्य देने में देरी, कार्य शुरू करने में देरी व कार्य पूर्ण करने में देरी आदि। जैसे कि पैरा 8.6 में, कई मामलों में निधियां बैंक खाते में रोक दी गई।

जब यह मुद्दा मंत्रालय के ध्यान में लाया गया, एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने उत्तर दिया (29 सितम्बर/5 अक्टूबर 2011) कि ए.सी.ए. की राशि पर अर्जित ब्याज की उपयोगिता के लिये कोई रणनीति शामिल नहीं थी और यह कहा कि एम.ओ.एच.यू.पी.ए. के दायरे के भीतर नहीं था। वित मंत्रालय ने सितम्बर 2011 में ए.सी.ए. की अप्रयुक्त राशि के समायोजन के लिये निर्देश जारी किया था। अनुपयोगी ए.सी.ए. पर ब्याज ए.सी.ए. के जारी करने की तिथि से सम्बन्धित राज्यों से अपनी अंतिम समायोजन/वसूली की तारीख तक लिया जाना था। वित्त मंत्रालय के परिपत्र के अनुसार इन सम्बन्धित राज्यों को सूचना दी जानी थी जहां परियोजनायें गैर स्टार्टर के रूप में पहचानी गई थी एवं जहां ए.सी.ए. ब्याज सहित सम्बन्धित मंत्रालय को समयोजित/वसूली करना निश्चित किया गया।

लेखापरीक्षा की राय है कि ऐसे निर्देशों पर चिन्तन योजना के शुभांरभ के समय किया गया होता, तो वित्तीय अनुशासन की एक अच्छी स्थिति सुनिश्चित हो सकती थी व इससे परियोजनाओं के पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाती।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 30 राज्यों/यू.टी. में से 22 ने 31 मार्च 2011 तक जैसे नीचे दिखाया गया है, बैंक में जमा राशि पर ₹ 210.35 करोड़ ब्याज अर्जित किया एवं शेष 8 राज्यों में लेखापरीक्षा के दौरान ब्याज की राशि की गणना नहीं की जा सकी क्योकि राशि लेखापरीक्षा को नहीं दिखाई गई या राशि गैर ब्याजी खाते में जमा करवाई गई थी।

तालिका 8.2: राज्यों और 31 मार्च 2011 तक अर्जित ब्याज की राशि

क्रम संख्या	राज्य का नाम	जे.एन.एन.यू.आर.एम. निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि (₹ करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	6.32
2	अरूणाचल प्रदेश	राशि दिखाई नहीं गई
3	असम	1.72
4	बिहार	22.04
5	चंडीगढ़	15.40
6	छतीसगढ़	राशि दिखाई नहीं गई
7	दादर व नागर हवेली	कोई अवलोकन नहीं
8	दमन व दीव	राशि दिखाई नहीं गई
9	दिल्ली	10.73
10	गुजरात	2.18
11	हरियाणा	2.43
12	हिमाचल प्रदेश	5.27
13	जम्मू एवं कश्मीर	11.05
14	झारखंड	5.09
15	कर्नाटक	71.28
16	केरल	6.99
17	मध्य प्रदेश	10.41
18	महाराष्ट्र	19.35

19	मणिपुर	0.47
20	मेघालय	2.62
21	नागालैंड	निधियां गैर ब्याजी खाते में जमा करवाई गई।
22	ओड़िशा	0.62
23	पुडूचेरी	कोई टिप्पणी नहीं
24	पंजाब	परियोजना कार्यन्वित एजेंसी द्वारा अलग बैंक खाते में नहीं रखा गया (निकास सम्मेलन में चर्चा हुई)
25	राजस्थान	2.28
26	सिक्किम	0.16
27	तमिल नाडू	1.28
28	उत्तर प्रदेश	11.18
29	उत्तराखंड	1.43
30	पश्चिम बंगाल	राशि दिखाई नहीं गई
कुल		**210.35 करोड़**

एम.ओ.यू.डी. ने (अप्रैल 2012) सूचित किया कि मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार राज्यों नें ₹ 226.58 करोड़ ब्याज, 31 दिसम्बर 2011 तक अर्जित किया। तथापि, मंत्रालय ने इस राशि के प्रयोग का विवरण/समायोजन की स्थिति को सूचित नहीं किया। एम.ओ.यू.डी. (मई 2012) में एम.ओ.एफ. ने ऐसी परियोजनाओं को निर्देश जारी किया जहां पर कार्य शुरू नहीं हुआ, सूचना राज्यों को दी कि अप्रायोगिक ए.सी.ए. एवं उस पर ब्याज का समायोजन किया जाए। जहां तक कि चल रही परियोजनाओं पर अर्जित ब्याज का सम्बन्ध है, मामले को आन्तरिक वित विभाग की सलाह पर वित मंत्रालय (व्यय विभाग) को भेजा।

तथापि, वित मंत्रालय ने ऐसे निर्देश केवल सितम्बर 2011 में जारी किये और एम.ओ.यू.डी. ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित ब्याज समायोजन के दृष्टान्तो का ब्यौरा नही दिया।

आगे कुछ मामलों में लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया कि ब्याज राशि का उपयोग भी ऐसे उद्देश्यों के लिये किया जिनका उल्लेख ज.एन.एन.यू.आर.एम. दिशानिर्देशों में नहीं था। कुछ ऐसे मामले नीचे उल्लेखित हैं:

i. झारखण्ड में, अर्जित किये गये ब्याज में से ₹ 2.26 करोड़ की राशि प्रशासनिक खर्चें और आय कर भुगतान के लिये किया। विभाग ने (नवम्बर 2011) प्रत्युत्तर में कहा कि एस.एल.एन.ए. जोकि जी.आर.डी.ए. लिमिटेड, झारखण्ड सरकार की स्वामित्व एजेंसी, कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है और जमाओं पर अर्जित ब्याज जी.आर.डी.ए. लिमिटेड की आय का भाग है जिसके आधार से वह कर भुगतान की उत्तरदायी है। विभाग का जवाब स्वीकार्य नही है क्योंकि जी.आर.डी.ए., न कि एस.एल.एन.ए. अपनी आय से आयकर देने के लिए उत्तरदायी है और जे.एन.एन.यू.आर.एम. निधि/जमाओं पर अर्जित ब्याज को जी.आर.डी.ए. लिमिटेड की आय के रूप में नहीं लिया जा सकता और प्रशासनिक खर्चों और आय कर भुगतान के लिये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

ii. जम्मू व कश्मीर में, मार्च 2011 तक, ₹ 1.03 करोड़ ब्याज की राशि का उपयोग कार्यालय खर्चे और कर्मचारी वेतन के लिये किया।

iii. कर्नाटक में, ₹ 5.50 करोड़ अर्जित ब्याज राशि का उपयोग, कर्नाटक विकास बोर्ड द्वारा ड्राफ्ट परियोजना रिपोर्ट और आई.ई.सी. गतिविधियों पर खर्चा किया।

iv. मध्य प्रदेश में, ₹ 0.13 करोड़ की राशि का खर्च इन्दौर नगर निगम दायित्वों पर किया गया।

v. तमिलनाडू में, ₹ 1.28 करोड़ प्राप्त ब्याज राशि परियोजना पर ही खर्च की गयी।

vi. मेघालय में, एस.एल.एन.ए. (एम.ओ.डी.ए.) द्वारा ₹ 0.78 करोड़ की राशि का उपयोग कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों के लिए किया गया।

उपरोक्त ब्याज इस्तेमाल के उदाहरण यह दर्शाते है कि यहां पर ब्याज के इस्तेमाल में कोई समानता नहीं है।

अनुशंसा संख्या 7:

निधि प्रवाह वितरण व्यवस्था, अर्थात् केन्द्र से एस.एल.एन.ए./राज्यों/यू.टी. के माध्यम से कार्यान्वयन एजेन्सियों को उनकी परियोजनाओं की भूस्तरीय स्थिति के समय और मात्रा के अनुसार, युक्तिसंगत बनाया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि न्यूनतम अव्ययित/अतिरिक्त राशि सरकारी खातों से बाहर रहे।

8.8 बीच में छोड़ी हुई/वापिस ली हुई परियोजनाओं से संबंधित ए.सी.ए. का अप्रत्यर्पण

लेखापरीक्षा के सामने ऐसे मामले आये जहां परियोजनाओं को बीच में छोड़ दिया/वापिस ली गयी और राज्य सरकारों/यू.एल.बी./कार्यान्वयन एजेन्सियों को दी गयी ए.सी.ए. राशि अप्रयुक्त रही और भारत सरकार को वापिस नहीं की गई।

8.8.1 बीच में छोड़ी हुई परियोजनाओं के लिए जारी ₹ 44.79 करोड़ ए.सी.ए. अप्रत्यर्पण

उत्तर प्रदेश में रामपुर में सड़क और फलाईआवेर की परियोजना के लिये (सितम्बर 2006) ₹ 89.58 करोड़ की मंजूरी दी थी। सरकार द्वारा ₹ 44.79 करोड़ की राशि (फरवरी 2007) में जारी की। एस.एल.एन.ए. ने केवल ₹ 8.45 करोड़ (अप्रैल 2008) नगर पालिका परिषद, रामपुर (एन.पी.पी.) को जारी किये। तदनन्तर, इस परियोजना को एन.एच.ए.आई. ने ले लिया और तत्पश्चात् जून 2010 में राज्य स्तरीय संवीकृति समिति द्वारा परियोजना को बीच में छोड़ दिया। नगर पालिका परिषद ने ₹ 9.24 करोड़ की राशि ब्याज सहित एस.एल.एन.ए. को वापिस कर दी। तथापि एस.एल.एन.ए. ने ए.सी.ए. की राशि को वापस नहीं किया और इसे अपने खाते में रखा (मई 2011)।

नवम्बर 2011 में राज्य सरकारों के साथ की गयी समापन सम्मेलन के दौरान यह बताया गया कि जी.ओ.आई. को निवेदन किया जा रहा है कि कोष का उपयोग जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत राज्य की अन्य परियोजनाओं में करने की अनुमति दी जाये।

तथापि एम.ओ.यू.डी. ने अपने उत्तर में राशि वसूली के बारे में कोई सूचना नहीं दी। तथापि वास्तविकता यह है कि अनुचित योजना के कारण कुल राशि ₹ 44.79 करोड. चार वर्ष से अधिक समय तक बाधित थी और ₹ 1.34 करोड़ डी.पी.आर. बनाने पर निष्फल व्यय हुआ।

एम.ओ.यू.डी. ने बताया (मई 2012) कि एम.ओ.एफ. ने सितम्बर 2011 में निर्णय लिया कि अप्रयुक्त ए.सी.ए. पर ए.सी.ए. जारी करने की तिथि से उसके अन्तिम समायोजन/वापसी के तिथि तक सम्बन्धित राज्य से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाये। यद्यपि इसके उतर में एम.ओ.यू.डी. ने उक्त मामले में कितनी राशि वापिस हुई, सूचित नहीं किया।

एम.ओ.यू.डी. में समापन सम्मेलन (जून 2012) के दौरान सूचित किया कि वित्त मंत्रालय ने रामपुर सड़क परियोजना की अप्रायोगिक राशि को बरेली जल आपूर्ति परियोजना में प्रयोग करने की अनुमति दे दी। ब्याज वसूली से सम्बन्धित मामला वित्त मंत्रालय में लम्बित है।

8.8.2 वापिस ली हुई परियोजनाओं से संबंधित ₹ 309.29 करोड़ ए.सी.ए. का अप्रत्यर्पण

जैसा कि पीछे बताया गया है कि 2010–11 तक 766 परियोजनाएं ₹ 12933.05 करोड़ की यू.आई.डी. एस.एस.एम.टी. के तहत स्वीकृत की गयी। जिसमें से 42 परियोजनाएं जिन्हें पहली किस्त सितम्बर 2006 और मार्च 2009 के बीच जारी की। 42 परियोजनाओं में से 6 परियोजनायें ऐसी थी जिसके लिये पहली किस्त 2006 व 2007 में जारी की गई। ये परियोजनायें तथापि मार्च 2011 तक शुरू नहीं हुई। एम.ओ.यू. डी. ने (अप्रैल 2011) इन शुरू नहीं हुई परियोजनाओं को एम.ओ.एफ एवं संबंधित एस.एल.एन.ए. को वापिस लेने का निर्णय भेजा। इसने आगे एम.ओ.एफ से इन परियोजनाओं के ₹ 305.53 करोड़ यू.आई. डी.एस.एस.एम.टी. के तहत जारी ए.सी.ए. की पहली किस्त वापिस लेने की प्रार्थना की।

लेखापरीक्षा के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि दमन व द्वीव के सम्बन्ध में जिसकी शुरू नहीं हुई परियोजना थी व ₹ 0.31 करोड़ का ए.सी.ए. जोकि 13 फरवरी 2009 को पहली किस्त के तौर पर जारी किया गया, 5 अप्रैल 2011 को वापिस ले लिया गया। इसलिये भारत सरकार को ऐसी सभी वापिस ली गई परियोजनाओं की समीक्षा ₹ 309.29 करोड़ ब्याज सहित (₹ 3.76 करोड़ डी.पी.आर. के सम्मिलित) की वापिसी सुनिश्चित करने हेतु की। समायिक निर्णय लेने हेतु भारत सरकार को अन्य शुरू नहीं हुई परियोजनाओं की समीक्षा करनी चाहिये।

इस प्रकार, यह महसूस किया गया कि शुरू नहीं हुई परियोजनाओं को वापिस लेने का निर्णय बहुत विलम्ब से था इसके इलावा एम.ओ.यू.डी. ने डी.पी.आर. इत्यादि के लिए जारी ₹ 3.76 व ए.सी.ए. पर ब्याज की वापिसी राज्यों द्वारा रखी गई।

ए.सी.ए. की वापसी का दिशानिर्देशों में स्पष्ट खण्ड सम्मिलित होना चाहिए यदि परियोजना अवधि के आधार पर उचित समय में परियोजना शुरू नहीं होती, तो ए.सी.ए. वापिस किया जाये। लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्वीकृत आदेशों में देर से शुरू हुई/शुरू नहीं हई परियोजनाओं के लिए ऐसी किसी भी शर्त को शामिल नहीं किया गया था।

एम.ओ.यू.डी. ने अपने उत्तर में (मई 2012) में वापसी/मूल राशि का समायोजन/उस पर ब्याज इत्यादि का कोई ब्यौरा नहीं दिया।

8.9 केन्द्रीय सहायता जारी करने में दिशानिर्देशों का अपालन

आई.एच.एस.डी.पी. परियोजना के दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय अनुदान की पात्रता के लिये, राज्य अंश को पृथक खाते में जमा कराना चाहिए। 50 प्रतिशत ए.सी.ए. की राशि राज्य अंश के सत्यापन और त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर के पश्चात् राज्य नोडल एजेन्सी को जारी किया जाना था। द्वितीय किश्त कार्य की प्रगति के आधार पर जारी की जानी थी।

परख जांच की गई 29 परियोजनाओं की मूल्यांकन टिप्पणी, बैठक के कार्यवृत और अनुशंसा तथा एम. ओ.एच.यू.पी.ए. की रिलीज फाइलों की संवीक्षा से पता चला कि ए.सी.ए. के जारी करने की उपरोक्त शर्तें किसी भी स्वीकृत परियोजनाओं में सत्यापित नहीं की गयी। लेखापरीक्षा को जांच के लिये सौंपे गये दस्तावेजों में कहीं भी राज्य अंश का पृथक खाते में जमा होने का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने राज्यों से सूचना मांगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया कि राज्यों ने शर्तों को पूरा करने की पुष्टि की है। तथापि, तथ्य यह है कि पहली किस्त जारी करने से पहले शर्तों को सत्यापित नहीं किया गया।

8.10 केन्द्रीय स्तर पर व्यय का आधिक्य

नियम 56 (3) सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार व्यय का आधिक्य वितीय मर्यादाओं का उल्लंघन है जिससे बचना चाहिए। मार्च माह में व्यय 15 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में 33 प्रतिशत तक प्रतिबन्धित होना चाहिए। वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) एवं गृह मंत्रालय द्वारा 2005–06 से 2010–11 तक विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत जारी निधियों की मंजूरी

आदेशों के विश्लेषण से पता चला कि उपरोक्त प्रावधानों का वर्ष 2005–11 में अनुपालन नहीं किया गया और भारी मात्रा में निधियों को वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में जारी किया गया। विशेष रूप से उस वर्ष के मार्च माह में जारी किया जोकि निम्नलिखित है।

तालिका संख्या 8.3: केन्द्रीय स्तर पर जारी निधियों के व्यय का आधिक्य को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल जारी ए.सी.ए.	अन्तिम तिमाही में जारी	प्रतिशत	मार्च माह में जारी	प्रतिशत
यू.आई.जी. (एम.ओ.यू.डी.)					
2005–06	90.11	90.11	100.00	90.11	100.00
2006–07	1262.96	561.41	44.45	232.16	18.38
2007–08	2529.84	1357.58	53.66	758.74	29.99
2008–09	4544.47	1749.13	38.49	446.05	9.82
2009–10	3977.88	1050.9	26.42	734.82	18.47
2010–11	1930.93	1201.13	62.20	849.13	43.98
कुल	**14336.19**	**6010.26**	**41.92**	**3111.01**	**21.70**
यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. (एम.ओ.यू.डी.)					
2005–06	87.47	87.47	100.00	87.47	100.00
2006–07	1248.97	921.43	73.78	657.17	52.62
2007–08	1204.00	627.58	52.12	532.20	44.20
2008–09	3280.26	2621.27	79.91	1524.97	46.49
2009–10	298.82	249.76	83.58	213.28	71.37
2010–11	1223.44	232.67	19.02	216.26	17.68
कुल	**7342.96**	**4740.18**	**64.55**	**3231.35**	**44.00**
बी.एस.यू.पी. (एम.ओ.एच.यू.पी.ए.)					
2005–06	72.14	72.14	100.00	72.14	100.00
2006–07	901.78	560.92	62.20	429.22	47.60
2007–08	1192.80	844.81	70.83	434.41	36.42
2008–09	1582.92	1148.83	72.58	927.20	58.58
2009–10	1338.37	790.69	59.08	414.31	30.96
2010–11	1925.40	872.40	45.32	699.03	36.31
कुल	**7013.41**	**4289.88**	**61.16**	**2976.31**	**42.43**
आई.एच.एस.डी.पी. (एम.ओ.एच.यू.पी.ए.)					
2005–06	0	0	0	0	0
2006–07	492.62	470.04	95.42	328.20	66.62
2007–08	792.24	401.27	50.65	156.47	19.75
2008–09	1296.20	887.84	68.50	809.41	62.44
2009–10	780.72	333.21	42.68	160.66	20.58
2010–11	880.25	581.33	66.04	432.96	49.19
कुल	**4242.03**	**2673.69**	**63.02**	**1887.70**	**44.50**

जैसे कि एम.ओ.एफ./एम.एच.ए. द्वारा निधियों को वर्ष के अन्त में जारी किये जाने के फलस्वरूप राज्य/यू.टी. सरकारों द्वारा कार्यान्वयन एजेन्सियों को बहुत विलम्ब से निधियों को जारी किया।

एम.ओ.यू.डी. ने अपने जवाब (मई 2012) मे कहा कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. को दिसम्बर 2005 में शुरू करने के लिए वर्ष 2005–06 के लिए आवंटित ₹ 90 करोड़ अन्तिम तिमाही में उपलब्ध करायें गए। वित्तीय वर्ष 2006–07, 2007–08, एंव 2008–09 में अतिरिक्त आबंटन क्रमशः रू 300 करोड़, रू 500 करोड़ एवं ₹ 2400 करोड़ की निधियों को अन्तिम तिमाही में सौंपा जिसके कारण अधिकतम उपयोग अन्तिम तिमाही में हुआ। एम.ओ.यू.डी. ने आगे कहा कि सुधारों की धीमी प्रगति के कारण निधियों की निर्मुक्ति को रोक दिया और उद्देश्यों में ढील देने की अनुमति पर अधिकतम निधियों को मार्च 2011 की अन्तिम तिमाही में जारी कर दिया।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने जवाब दिया (अप्रैल 2012) कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार चल रही थी इसलिए इस योजना के हित में स्वीकृत परियोजना के अग्रिम ए.सी.ए. के कुछ भाग और अगली किस्त को पिछली रिलीज और सुधारों की प्रगति की उपयोगिता पर जारी करने की अनुमति दी। एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने यह भी स्पष्ट किया कि ज्यों ही नई परियोजनाएं अनुमोदित की गई या राज्यों से उपयोगिता प्रमाण पत्र, यह ध्यान रखे बिना कि वे वितीय वर्ष के मार्च या मई के मास में प्राप्त किए जा रहे थे, प्राप्त होने पर निधियां निर्मुक्त की जा रही थी, उसने पुनः बताया कि निर्मुक्तियां मांग पर आधारित थीं जबकि एक राज्य को सात वर्षों के लिए कुल आवंटन से सीमित थीं।

यह जवाब लेखापरीक्षा में स्वीकार्य नही है क्योंकि वित्तीय वर्ष के अन्त में निधियों की मांग करने तथा निधियां जारी करने के स्थान पर यह गतिविधि पूरे वर्ष निरन्तर चलनी चाहिए थी। जवाब से यह भी ज्ञात होता है कि परियोजनाएं वित्तीय वर्ष के अन्त में भी स्वीकृत की गयी थीं इस कारण प्रथम किस्त अन्तिम तिमाही या मार्च में निर्मुक्त की गयी।

8.11 उपयोगिता प्रमाण पत्र

जी.एफ.आर. 2005 के नियम 212(1)के अनुसार मंत्रालय द्वारा दिये गये अनुदान, जिस उद्देश्य के लिए वह स्वीकृत किया गया था, का वास्तविक उपयोग का प्रमाण पत्र उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीने के भीतर अनुदायी संस्थान/संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आवर्ती अनुदान के संदर्भ में, सम्बंधित मंत्रालय या विभाग को, अगले वित्तीय वर्ष के अनुदानों के संदर्भ में केवल अस्थायी आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत किए जाने के पश्चात ही अनुवर्ती वितीय वर्ष के लिए कोई भी संस्वीकृत धनराशि निर्मुक्त करनी चाहिए। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के दिशानिर्देशानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की कार्यप्रणाली सामान्य वित्तीय नियमानुसार देखी जानी थी।

8.11.1 शहरी विकास मंत्रालय – यू.आई.जी. – ₹ 2436.78 करोड

यू.आई.जी. के संदर्भ में ₹ 11,967.93 करोड़ की राशि वाले 1167 उपयोगिता प्रमाण पत्र मई 2012 तक देय थे। इन 1167 उपयोगिता प्रमाण पत्रों में से ₹ 9,531.15 करोड़ की राशि वाले केवल 952 उपयोगिता प्रमाण पत्र ही मंत्रालय को प्राप्त हुए। इस प्रकार ₹ 2,436.78 करोड़ की राशि वाले 215 उपयोगिता प्रमाण पत्र मई 2012 तक बकाया थे। यह भी देखा गया कि ₹ 1,194.87 करोड़ राशि वाले 78 उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्यों/यू.टी. को जारी की गई प्रथम किस्त से सम्बन्धित थे।

यू.आई.जी. से सम्बंधित कुल देय, प्राप्त और बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका संख्या 8.4: देय, प्राप्त और बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

किस्त	देय उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि
प्रथम किस्त	518	5836.30	440	4641.43	78	1194.87
द्वितीय किस्त	316	3315.59	309	3124.86	7	190.73
तृतीय किस्त	222	2143.21	203	1764.86	19	378.35
चतुर्थ किस्त	111	672.83	..	..	111	672.83
कुल योग	1167	11967.93	952	9531.15	215	2436.78

8.11.2 शहरी विकास मंत्रालय –यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.– ₹ 2036.66 करोड़

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. से सम्बन्धित केवल 60 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च 2011 तक प्राप्त हुए थे। उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति नीचे दी गई है।

2010–11 तक जारी निधि	₹ 7342.98 करोड़
देय उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	747
देय उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि	₹ 5088.36 करोड़
प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	476
प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि	₹ 3051.70 करोड़
बकाय उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	271
बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि	₹ 2036.66 करोड़

राज्य–वार निर्मुक्त निधियों, देय उपयोगिता प्रमाण पत्रों, एम.ओ.यू.डी. में प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र **परिशिष्ट 8.5** में दिये गये है। मेघालय, उत्तराखण्ड और दादर एंव नागर हवेली से कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि ₹ 6.45 करोड़, ₹ 24.69 करोड़ और ₹ 0.26 करोड़ की राशि वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रमशः इन्ही तीन राज्यों से बकाया थे। नौ अन्य राज्यों (असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंव कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब एंव राजस्थान) के सम्बन्ध में प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रतिशतता 50 प्रतिशत से कम (4.92 प्रतिशत से लेकर 46.32 प्रतिशत तक) थी।

विस्तृत जांच के लिए चयनित 35 परियोजनाओं के संदर्भ में लखापरीक्षा जांच में पाया गया कि 17 परियोजनाओं के संदर्भ में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे। यद्यपि पांच राज्यों में पांच परियोजनाओं के संदर्भ में व्यय हुआ, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है (31 मार्च 2011 तक की स्थिति):

तालिका संख्या. 8.5: पांच राज्यों की पांच परियोंजनाओं पर व्यय होने पर भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नही हुए

(₹ करोड़ में)

भाहर का नाम	राज्य का नाम	जारी राशि	व्यय
रोहतक	हरियाणा	8.25	4.87
एलापुज्हा	केरल	38.14	7.19
पटियाला	पंजाब	36.54	22.11
गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	37.70	18.70
मसूरी	उत्तराखंड	24.69	2.76

एम.ओ.यू.डी. ने (मई 2012) में जवाब दिया कि राज्यों/यू.टी. से अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की मांग की गयी और विविध परामर्शदायी भी जारी की गयी थी।

इसके बावजूद लेखापरीक्षा ने पाया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की स्थिति वास्तव में खराब थी।

8.11.3 शहरी आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय–बी.एस.यू.पी.–₹ 3054.05 करोड़

₹ 6981.09 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2011 को देय थे। इनके विरूद्ध ₹ 3927.04 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र मंत्रालय में प्राप्त हुए। इस प्रकार ₹ 3054.05 करोड़ राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थे। जिनका विवरण **परिशिष्ट 8.6** में दिया गया है।

8.11.4 शहरी आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय–आई.एच.एस.डी.पी. – ₹ 2504.64 करोड़

₹ 4241.74 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2011 को बकाया थे। इनके विरूद्ध ₹ 1737.08 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र एम.ओ.एच.यू.पी.ए. में प्राप्त हुए थे। इस प्रकार ₹ 2504.64 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थे। जिनका विवरण **परिशिष्ट 8.7** में दिया गया है।

8.11.5 शहरी आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय– क्षमता निर्माण – ₹ 2.34 करोड़

यह भी पाया गया कि ₹ 2.34 करोड़ की राशि क्षमता निर्माण के लिए बहुत से राज्यों को अनुदान सहायता के रूप में वर्ष 2006–07 और 2008–09 के दौरान एम.ओ.एच.यू.पी.ए. द्वारा जारी की गयी थी जिनके उपयोगिता प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर 2011 तक बकाया थे।

अनुशंसा संख्या 8:

समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के प्रावधानों का बार बार ध्यान दिलाया जाना चाहिए और भारत सरकार द्वारा राज्यों/यू.टी. को उसका कड़ाई से पालन करने का परामर्श दिया जाना चाहिये।